2022 का विधेयक संख्यांक 220

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 20 का संशोधन ।

सं0आ0 22 5

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 20- छत्तीसगढ़ में,—

(i) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. भारिया भूमिया, भुईंहार भूमिया, भूमिया, भरिया, भूईया, भूईयाँ, भूयां, पालिहा, पांडो या पंडो या पन्डो या पण्डो";

(ii) प्रविष्टि 14 में, "धनवार" के पश्चात्, "धनुहार, धनुवार" अंत:स्थापित करें ;

(iii) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में आने वाली प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 28

"15. गडाबा या गदबा,गडबा या गदबा";

(iv) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में आने वाली प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 28

"16. गोंड या गोंड़, अरख, आरख, अगरिया, असुर, अबूझ मारिया, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोट्या, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई";

(v) प्रविष्टि 23 में, "कोंध" के स्थान पर, "कोंद, कोंध" रखे ;

(vi) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में आने वाली प्रविष्टि 27 के स्थान पर, "कोडाकू" के स्थान पर, "कोडाकू या कोड़ाकू" रखें ; 2000 का 28

(vii) प्रविष्टि 32 में, "नागासिया" के पश्चात्, "किसान" अंत:स्थापित करें ;

(viii) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में आने वाली प्रविष्टि 33 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 28

"33. उरांव, धानका, धांगड़";

(ix) प्रविष्टि 41 में, "सवरा" के पश्चात्, "सौंरा, संवरा" अंत:स्थापित करें ;

(x) प्रविष्टि 42 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"43. बिंझिया"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है, परिभाषित किया गया है ;" ।

2. संविधान का अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ;" ।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा 6 दिसम्बर, 1950 को अधिसूचित किया गया था । इस सूची को समय-समय पर उपांतरित किया गया था । छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने की सिफारिश की है ।

4. तद्नुसार, अनुसूचित जनजातियों की सूची को भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उपांतरित किए जाने का प्रस्ताव है ।

5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ,—

(क) प्रविष्टि 5 में, —

(i) भूईंया, भूईयाँ और भूयां समुदायों को, भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में;

(ii) हिन्दी पाठ में भरिया को ; और

(iii) पांडो समुदाय के तीन देवनागरी पाठों को सम्मिलित करने ;

(ख) प्रविष्टि 14 में धनुहार और धनुवार समुदायों को सम्मिलित करने ;

(ग) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के हिन्दी पाठ में आने वाली प्रविष्टि 15, प्रविष्टि 16, प्रविष्टि 27 और प्रविष्टि 33 को प्रतिस्थापित करने ;

(घ) प्रविष्टि 23 में "कोंध" के स्थान पर, "कोंद, कोंध" प्रतिस्थापित करने ;

(ङ) प्रविष्टि 32 में किसान समुदाय को सम्मिलित करने ;

(च) प्रविष्टि 41 में सौंरा और संवरा समुदायों को सम्मिलित करने ;

(छ) नई प्रविष्टि 43 में बिंझिया समुदाय को सम्मिलित करने,

के लिए प्रस्ताव करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
23 नवम्बर, 2022.

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने और साथ ही साथ समुदायों के समानार्थकों को जोड़ने के लिए है । इनमें, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चालू स्कीमों के अधीन, ऐसे समुदायों के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली प्रसुविधाओं के मद्दे अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित हो सकेगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस मद्दे उपगत होने वाले संभाव्य अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अन्दर समायोजित किया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 22) से उद्धरण

* * * * * *

अनुसूची

* * * * * *

भाग 20--छत्तीसगढ़

* * * * * *

5. भारिया, भूमिया, भुईहार, भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो

* * * * * *

14. धनवार

15. गडाबा, गडबा

16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, (अबूझ मारिया)] बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसन हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार मोध्या, मोगिया, मोंध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारीं, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई

* * * * * *

23. कोंध, खोंड, कांध

* * * * * *

27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा कोडाकू

* * * * * *

32. नगेसिया, नागासिया

33. उरांव, धानका, धनगढ़

* * * * * *

41. सवर, सवरा

42. सौंर ।

* * * * * *